






न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सू० न०- 104/2019

तारीखरजू- 28-8-19

उनवान:- भिरंगली बनाम सरकार जरिए तहसीलदार वगै०

दावा वावत इन्द्राज दुरुस्ती धारा 136 आर.टी.एक्ट

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|----------|--|
| 28-8-19 | <p>वादी की ओर से श्री विजय भारती मीना एडवोकेट व छुट्टन लाल मीना ने दावा वावत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरुस्ती धारा 136 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 30.09.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p> |
| 30-9-19 | <p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी काबजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गयी है प्रमाण इन्द्राज दुरुस्ती का है जिसमे लेण्ड होल्डर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होता ठगवणपक है और रिपोर्ट प्राप्त का दिनांक 7-10-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p> |
| 7-10-19 | <p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य रखा गया है। गतानुसार दिनांक 22-10-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p> |
| 22-10-19 | <p>वादी वकील उप०। आफिस कारनेगा उप०। रिपोर्ट पेश करने समय चारहा समय दिया गया। रिपोर्ट पेश करने दिनांक 19-11-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p> |
| 19-11-19 | <p>वादी वकील उप०। आफिस कारनेगा उप०। रिपोर्ट आगापी सुनवा है निधीय पेश करने का कथन कर समय चारहा। रिपोर्ट पेश करने दिनांक 17-12-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p> |

दिनांक

25/11/19 फतावली भाजि वाडी छव ठुसके वकील द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तय्यारी की गई। फतावली सुनवाई प्रार्थना पत्र का उपयोग किया गया वाडी द्वारा इन्डिया इन्फोर्सी का दावा पेश किया है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि इन्फोर्सी छे चुकी है। प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं पावता है। अतः प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रार्थना पत्र रूचीकर किया जा रहा है। फतावली कैशालसुभा से सम्बन्ध में काम की जाकर दायरे में रहता है।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (कसैली)

